

सं.006/वीजीएल/5
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली - 110023
दिनांक: 18/01/2006

परिपत्र संख्या 3/1/06

विषय : विभागीय कार्रवाईयों में विलंब कम करना - दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में ।

आयोग ने यह अवलोकन किया है कि विभागीय जाँच कार्रवाईयों में सम्बद्ध दस्तावेजों की अनुपलब्धता लगातार एक गंभीर समस्या बनी हुई है जिसके फलस्वरूप जाँच कार्य को अंतिम रूप देने में देरी होती है । आयोग, कार्यालय आदेश संख्या 12/02/2004 द्वारा जारी दिनांक 26.2.2004 के परिपत्र सं0 एनजेड/पीआरसी/1 के अंतर्गत दिए गए अपने अनुदेशों को दोहराता है जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि सभी सूचीबद्ध दस्तावेज मूल रूप से तथा उनकी सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सौंप दी गई हैं । दिनांक 6.9.1999 के आदेश सं0 3(वी)/99/7 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को भी आयोग दोहराता है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के संबंध में उनके द्वारा जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की पठनीय सत्यापित प्रतियाँ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, संगठन को उपलब्ध कराएगा । अतः, यह दोहराया जाता है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अधिकार में लिए गए दस्तावेजों की पठनीय सत्यापित प्रतियाँ, विभागीय कार्यवाहियाँ का अनुवर्तन करने हेतु, संगठन को उपलब्ध करा दी गई हैं ।

2. उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

-ह0-

(वी.कण्णन)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो